न्यायालय संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :–डॉ. श्रीमती प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–39 / 2023
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2023 / 242

अपीलाण्ट :– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

1. सोहनपुरी पुत्र परसपुरी के कायम मुकाम
   1 / 1 नरेन्द्रपुरी पुत्र सोहनपुरी
   1 / 2 मुकेशपुरी पुत्र सोहनपुरी
   निवासीगण मण्डली खुर्द तहसील पाली जिला पाली।
2. सलीम पुत्र ईशाक, जाति मुसलमान निवासी जुम्मा मस्जिद रोड़, पाली

1. नगर विकास न्यास, पाली

अपील अन्तर्गत धारा 90(क)2 विरूद्धनगर विकास न्यास, पाली के प्रकरण संख्या 1 / 2020 आदेश दिनांक 21.06.2021

उपस्थिति :–
1. श्री दौलत मकवाणा, विद्वान अधिवक्ता, अपीलाण्ट्स
2. श्री राजेन्द्र शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट

:: निर्णय ::

दिनांकः–08 अक्टूबर, 2024

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट्स सोहनपुरी के का.मु. श्री नरेन्द्रपुरी वगैरह ने न्यायालय सचिव नगर विकास, न्यास पाली के आदेश संख्या 1 / 2020 दिनांक 21.06.2021 से व्यथित होकरयह प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन से तलब किया गया।

3. बहस उभयपक्षकारान् की सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट्स ने दौराने बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया किअधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि ग्राम मण्डली खुर्द के खसरा नंबर 567 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा आबादी में स्थित है। ग्राम पंचायत मण्डिया के द्वारा ग्राम मण्डली खुर्द के [illegible] पंचायत की आबादी भूमि मानते हुए ग्राम पंचायत मंडिया द्वारा पट्टा [illegible] संख्या 113 / 1977–78 दर्ज कर अपीलान्ट के पिता सोहनपुरी [illegible] 11.1977 को जारी कर दिया।अपीलान्ट के पिता सोहनपुरी अपना [illegible] मकान बनाकर [illegible] सहित करीब 45 वर्ष से निवास कर रहे है।ग्राम मण्डली खुर्द के खसरा नं. 567 में मेरे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.10.14 18:25:40 IST
Reason: SelfAttested

संभागीय आयुक्त,

अलावा करीब 50–60 अन्य व्यक्तियों को भी पट्टे तत्कालीन समय में जारी किये गये थे। मण्डली खुर्द के खसरा नंबर 567 में पूर्ण रूप से आबादी के रूप में सभी निवास कर रहे हैं।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया किराज्य सरकार द्वारा पाली जिला को नगर सुधार न्यास घोषित किया गया है जिसमें पाली शहर के साथ साथ पास की ग्राम पंचायतों को एरिया के हिसाब से शामिल कर दिया गया है जिसमें ग्राम पंचायत मण्डिया भी शामिल है।ग्राम मण्डली खुर्द के खसरा नंबर 567 आबादी हिस्सा होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने के उपरान्त उक्त खसरे को ग्राम पंचायत के खाते में तत्कालीन पटवारियों द्वारा दर्ज नहीं किया गया। तब हाल ही में वर्ष 2020 में उक्त आबादी भूमि को नगर सुधार न्यास के नाम दर्ज कर दिया गया, जिसकी जानकारी न तो अपीलान्ट को है और ना ही ग्राम पंचायत की जानकारी में है। उपरोक्त उनवान के प्रकरण के विचाराधीन रहते हुये ही अपीलांट सोहनपुरी का देहान्त दिनांक 13.05.2021 को हो चुका था, ऐसी स्थिति में मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित आदेश न्याय संगत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।इस प्रकार जैर अपील आदेश मृत व्यक्ति सोहनपुरी के विरूद्ध पारित किया गया जो कि Ab-initio void होकर null & void है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत आर आर टी 2012(1) पेज नंबर 189, ए आई आर 1964 मैसूर पेज नंबर 293, ए आई आर 1964 एस.सी. पेज नंबर 215 एवं ए आई आर 2005 राज. पेज नंबर 6 प्रस्तुत किये गये।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के बेदखली काआदेश पारित किया जा कर कानूनी तथा वाकियाती गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का कानूनी परिपेक्ष्य में परिशीलन न कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो कि अपास्त किये जाने के योग्य है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि तहसीलदार ने अपीलान्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 91 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को जरिये नोटिस तलब किया। नोटिस अपीलान्ट को तामिल नही हुआ तथा न ही प्रकरण की जानकारी हुयी। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट नगर सुधार न्यास पाली के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका जो अपीलाधीन आदेश को अपास्त किये जाने हेतु कानूनन पर्याप्त कारण है। अपीलान्ट गांव में ही था तथा बाहर गया हुआ नहीं था। गांव में किसी ने भी या घर में किसी ने यह नहीं कहा कि अपीलान्ट बाहर गया हुआ है। ऐसी स्थिति में तो तामिल कुनन्दा को अपीलांट स्वंय पर तामील करवायी जानी चाहिए थी जो नहीं करवायी जिसके लिए वह दोषी है क्योंकि इस प्रकार का कृत्य नियम विरूद्ध है। इसके बावजूद भी नगर सुधार न्यास ने तामिल मान कर इकतरफा आदेश पारित कर दिया जो कि अपास्त किए जाने योग्य है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने भी ऐसे महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर गौर नहीं किया और बिना किसी आधार पर पुष्टि कर दी जो कि अपास्त किये जाने के योग्य है। अपीलार्थी के पिता सोहनपुरी का कब्जा unauthorised नही है बल्कि अपीलार्थीगण का कब्जा ग्राम पंचायत मण्डिया द्वारा जारी पट्टा विलेख के आधार पर है। धारा 91 एल आर के तहत केवल मात्र Trespassers के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है। अपीलार्थी अतिक्रमी नही है

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.10.14 18:25:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

संभागीय आयुक्त,
पाली

बल्कि अपीलाण्ट्स का Bonafide claim है जिस कारण अपीलाण्ट्स को धारा 91 के तहत समरी प्रोसीडिंग में बेदखल नही किया जा सकता है। इस संबंध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी एन जे 1995 (एस सी) पेज नंबर 208, आर बी जे (9) 2002 पेज नंबर 518 एवं आर आर डी 2006 पेज नंबर 278 प्रस्तुत किये गये।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया किविधि का प्रतिपादित सिद्धान्त है कि प्रत्येक पक्षकार को समुचित सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना आज्ञापक है, परन्तु नगर सुधार न्यास ने इन नियमों की पालना नहीं की बल्कि अवहेलना की गयी है। इस प्रकार यह न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत है। इससे अपीलांट के विधिक अधिकारों पर भारी कुठाराघात हुआ है तथा अपीलाण्ट को न्याय से वंचित कर दिया गया है। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि जानबूझ कर न्याय से वंचित किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने के योग्य है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया किनगर सुधार न्यास के समक्ष ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं होने के बावजूद भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मान कर आदेश पारित कर दिया गया है, जिसका कोई ओचित्य नहीं है क्योंकि बिना किसी ठोस आधार के आदेश पारित किया जाना सम्भव ही नहीं हो सकता है। इसके बावजूद भी कर दिया गया है जो कि अपास्त किये जाने के योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 21.06.2021 को अपास्त किए जाने का आदेश पारित फरमाया जावे।

5. बहस के द्वौरान विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मण्डली खुर्द के खसरा नंबर 567 रकबा 10.19 बीघा किस्म गै.मु. खारच भूमि नगर विकास न्यास, पाली के नाम दर्ज है। इससे साफ जाहिर है सरपंच ग्राम पंचायत मण्डली खुर्द द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर तथाकथित कूट दस्तावेज जारी किया है। चूंकि संरपच ग्राम पंचायत सिर्फ आबादी भूमि का ही पट्टा जारी कर सकता है और यदि सरकारी भूमि का पट्टा जारी करता भी है तो उसकी कोई वैधानिक मान्यता नही होती है। अपीलाण्ट्स द्वारा माननीय सिविल न्यायालय पाली में घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु वाद संख्या 88/2014 आदेश दिनांक 6.12.2019 को खारिज किया जा चुका है, जिसकी अपील जिला एवं सेशन न्यायालय पाली में की गई है, जो कि विचाराधीन है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने यह भी तर्क दिया है कि अपीलाण्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट पाली में दावा पेश किया जो दिनांक 07.11.2021 को खारिज किया गया क्योकि अपीलाण्ट द्वारा दावा withdraw किया गया, अपीलाण्ट द्वारा पुनः दावा पेश किया गया, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। अभी भी सैशन कोर्ट में कायम मुकामात का पक्षकार बना कर प्रकरण जिला एवं सत्र न्यायालय में विचाराधीन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.10.14 18:25:40 IST
Reason: SelfAttested

जहां तक प्रश्नगत भूमि का प्रश्न है, [illegible] सिवायचक भूमि है तथा इस भूमि पर ग्राम पंचायत को पट्टा [illegible] अधिकार नही था। जमाबंदी संवत् 2035–2038 में विवादित भूमि [illegible] तथा सिवायचक भूमि पर ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नही [illegible] ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों को

संभागीय आयुक्त,
पाली

निरस्त करवाने हेतु न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली में निगरानी जैरकार है तथा यह फर्जी पट्टा है। इस भूमि को कभी भी कृषि भूमि से आबादी में परिवर्तित नही किया गया था। नगर सुधार न्यास ने अपीलाण्ट को एक अतिक्रमी के रूप में नोटिस जारी किया था तथा आदेश दिनांक 21.06.2021 द्वारा अपीलाण्ट के विवादित भूमि से बेदखली के आदेश पारित किये गये थे।

रेस्पोडेण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि ग्राम मण्डली खुर्द के खसरा नंबर 567 को ग्राम पंचायत की आबादी भूमि मानते हुए ग्राम पंचायत मंडिया द्वारा पट्टा प्रकरण संख्या 113/1977–78 दर्ज कर अपीलान्ट के पिता सोहनपुरी के नाम से पट्टा दिनांक 20.11.1977 को जारी किया गया है उसको निरस्त करवाने हेतु निगरानी माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली के समक्ष विचाराधीन है। इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.2021 को यथावत रखते हुये अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

6. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया।बाद अवलोकन हम यह पाते है कि अधिनस्थ न्यायालय सचिव नगर विकास, न्यास पाली के प्रकरण संख्या 1/2020 आदेश दिनांक 21.06.2021 के विरूद्ध यह प्रश्नगत अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलाण्ट का मुख्य तर्क यह है किप्रकरण के विचाराधीन रहने के दौरान ही अपीलांट सोहनपुरी का देहान्त दिनांक 13.05.2021 को हो चुका था। अपीलाधीन न्यायालय ने दिनांक 21.06.2021 को मृत व्यक्ति श्री सोहनपुरी के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है जो कि विधि एवं न्याय के सिद्धांतों के अनुसार सही नही है। अधीनस्थ न्यायालय सचिव नगर विकास न्यास, पालीद्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2021 को निर्णय पारित किया गया है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजात के अनुसार अपीलाण्ट श्री सोहनपुरी का निधन दिनांक 13.05.2021 को हो चुका था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय सचिव नगर विकास न्यास, पाली द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार सोहनपुरी के विधिक वारिसान को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है तथा विधि का प्रतिपादित सिद्धान्त है कि प्रत्येक पक्षकार को पर्याप्त सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना आवश्यक है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स का मुख्य तर्क यह है कि ग्राम मण्डली खुर्द के खसरा नंबर 567 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा किस्म गै.मु. खारच भूमि नगर विकास न्यास, पाली के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा ग्राम पंचायत मण्डली खुर्द द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर पट्टे जारी किये गये है। उक्त पट्टे को निरस्त करवाने हेतु न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली में निगरानी विचारधीन है। अधीनस्थ न्यायालय सचिव नगर विकास न्यास, पाली को इस विषय में भी विवेचन कर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अब यह तथ्य न्यायालय के समक्ष लाया जा चुका है कि ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर पट्टे जारी किये गये है तथा उन पट्टो के विषय में सक्षम न्यायालय में निगरानी भी जैरकार है। अतः न्यायालय हाजा में अपीलाण्ट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.10.14 18:25:40 IST
Reason: SelfAttested

संभागीय आयुक्त,
पाली

विवादित भूमि पर कोई अधिकार होने अथवा नही होने संबंधी बिन्दु पर मेरिट पर विचार नही किया गया है, बल्कि फिलहाल इस तथ्य पर विचार किया गया है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के तहत नही मिला।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सचिव नगर विकास न्यास, पाली के प्रकरण संख्या 1/2020 निर्णय दिनांक 21.06.2021 को अपास्त किया जाता हैं। न्यायालय सचिव नगर विकास न्यास, पाली को प्रकरण इनदिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट को सी.पी.सी. के प्रावधानो के अनुसार सुना जाकर तथा साक्ष्य, सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुये उपरोक्तानुसार वर्णित स्पष्ट विवेचन के पश्चात् विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

संभागीय आयुक्त,
पाली

यह निर्णय आज दिनांक 08 अक्टूबर, 2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.10.14 18:25:40 IST
Reason: SelfAttested